In the Court of A.C.J.M 2nd (W) Muzaffarpur

Gr. No.- 1226/2000
Sahebganj P.S. Case no.-114/2000
State vs. Chandradev Rai.

Date	Order	Remark
22-04-2026	आज अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि इस मामले में दिनांक 16.08.2000 को अभियुक्त चन्द्रदेव राय के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि लगभग 25 वर्ष की लंबी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अनुसंधान अधिकारी द्वारा अब तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। पूर्व में दिनांक 13–01–2026 को प्रगति रिपोर्ट मांग की गई थी, लेकिन न तो प्रगति प्रतिवेदन और न ही आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के प्रावधानों के अनुसार, अपराध का संज्ञान लेने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित है। धारा 379 भा.दं.सं. के तहत अधिकतम कारावास की अवधि 3 वर्ष है, जिसके लिए संज्ञान लेने की समय सीमा 3 वर्ष निर्धारित है। वर्तमान मामले में 25 वर्ष बीत चुके हैं, जो कि वैधानिक समय सीमा से काफी अधिक है। अतः, धारा 468 दं.प्र.सं. के अंतर्गत इस मामले में अब संज्ञान लिया जाना वर्जित है। न्याय के हित में और कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु इस वाद की कार्यवाही को आगे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः, उक्त आधार पर इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है और अभिलेख को निस्पादित किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि विधिक औपचारिकता पूर्ण करने के पश्चात अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करे। **Sd/- Subhash Kumar** **A.C.J.M. 2nd (W),** **Muzaffarpur.**	